lfpdkLr lfpdkvksa dh lwph&2014

Qjojh&2014

f'k{kk foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	01/लोक(शिक्षा)04/06	चतरा जिले में शिक्षकों को दी गई अवैद्य प्रोन्नति तथा सरकारी कोष से करोड़ों रूपया का अवैद्य निकासी के संबंध में श्री सुरेश कुमार सिंह सेवानिवृत प्रधानाध्यापक चतरा का शिकायत ।	03.02.2014	मानव संसाधन विभाग के सचिव से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य एवं परिवाद वापसी के याचना के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया।
2.	01/लोक(शिक्षा)06/13	राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुटीपीसी, पदमा, हजारीबाग के पारा शिक्षक मनमोहन प्रसाद मेहता पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबंध में श्री सुधाकर राणा, हजारीबाग का परिवाद ।	10.02.2013	आरोपित शिक्षक को दिनांक 08.02.2014 के कार्यालय आदेश के आधार पर सेवा समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार विभाग द्वारा किया गया गलती को सही कर लिया गया। विभाग को भविष्य में सतर्कता बतनी चाहिए कि इस प्रकार के गलती न हो । उक्त टिप्पणी के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)32/11	जामताड़ा जिले में वर्ष 2007–08 में चयनित एवं विद्यालय में योगदान कराये गये 242 पारा शिक्षकों के बकाए मानदेय राशि के भुगतान के संबंध में श्री अरूण मंडल एवं अन्य परा शिक्षक का परिवाद ।	20.02.2014	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा समुचित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पारित कर दिया गया । अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	01/लोक(शिक्षा)14/12	राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय कूट्टी, जबड़ा के प्रधानाध्यापक सह सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबध में श्री मो0 खाजा, चतरा का परिवाद ।	26.02.2014	उपायुक्त चतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा सुनवाई के उपरान्त परिवादी द्वारा लगाया आरोप सही नही पाया गया। उक्त के आधार पर परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिदया गया ।
5.	01/लोक(शिक्षा)09/11	श्री राजेन्द्र प्रसाद, सचिव नव प्राथमिक विद्यालय, हरिजन टोला बरकन गांगो द्वारा अवैद्य रूप से पारा शिक्षक के चयन किये जाने के संबंध में हरिजन टोला बरकन गांगो के ग्रामिण जनता द्वारा दायर	25.02.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार दो पारा शिक्षक जिनका चयन अवैद्य रूप से किया ग्या था को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया । इस प्रकार परिवाद के निराकरण के बाद माननीय लोकायुक्त

		परिवाद ।		द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
6.	01 / लोक(शिक्षा)02 / 13	विद्यालय भवन में दराद को लेकर छपे समाचार के स्वतः संज्ञान में लेकर जांच करने के संबंध में श्री ब्रजकिशोर नायक, कसमार, बोकारो का परिवाद ।	26.02.2014	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त जाचं प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

jktLo ,o Hkfe l/kkj foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01 / लोक(राजस्व)11 / 13	अंचल अधिकारी मधुपुर श्री विनय कुमार लाल द्वारा अवैद्य कार्य करने तथा करोड़ों की संपति जमा करने के संबंध में जेड. अहमद, का शिकायत ।	19.02.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद की जांच अनुमंडलाधिकरी, मधुपुर से कराया गया तथा सारे आरोप निराधार पाये गये । उक्त के आालोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	01 / लोक(राजस्व)01 / 13	अंचलाधिकरी, गिरीडिह, श्री अनवर हुसैन तथा अन्य कर्माचारी द्वारा गलत कायग करने के संबंध में बबलू अंसारी का शिकायत ।	28.02.2014	परिवादी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा भूलवश गलत तथ्य के आधार पर शिकायत करने तथा इसे वापस लेने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

xkfe.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02 / लोक(ग्रा.वि.)24 / 13	बड़गाँव पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले में उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबध में श्री विशाल कुमार मलाकार, रामगढ़ का परिवाद ।	25.02.2014	उपायुक्त रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालक दण्डाधिकरी के द्वारा मुखिया एवं परिवादी के उपस्थिति में दस योजनाओं का जांच किया गया तथा किसी में भी किसी प्रकार का अनियमितता नहीं पाया गया । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को

				माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(ग्रा.वि.)05 / 12	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड में इन्दिरा आवास योजना में घोटाला के संबंध में मो0 सिकन्दर नवाज खान, राज्य निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ चौपारन, हजारीबाग का परिवाद ।	25.02.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी पंचायत सेवक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' भर कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है तथा एजेंट के विरूद्ध केस सं. 147 / 13 में सनहा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। अतः विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है तथा इस अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसी आश्य के साथ परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01 / लोक(ग्र.वि.)03 / 06	ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, गुमला के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के शैक्षिणिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने के संबंध में श्री शंभुनाथ सिंह, गुमला का परिवाद ।	26.02.2014	परिवादी द्वारा लोकसेवक के विरूद्ध आरोप निराधार एवं गलत है क्योकि संबंधित लोक सेवक के प्रमाण पत्रों का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कर सही पाया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

iapk;rh jkt foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01 / लोक(पंचायती राज)01 / 12	अनियमितता के मामले में पंचायती राज सचिव द्वारा संबंधित संबधित अभियंताओं पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री सुनिल कुमार महतो, केतारी बगान राँची का परिवाद ।		विकास आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जांचोपरान्त परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

dY;k.k foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02 / लोक(कल्याण)02 / 12	विकलांग भत्ता एवं विकलांग का कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में रिना कुमारी का शिकायत ।	18.02.2014	सचिव, सामाज कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी रीना कुमारी को अबाध रूप से

				विकलांगता भत्ता मिल रहा है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	01 / लोक(स.क.)03 / 12	सी.डी.पी.ओ. बरही सविता वर्मा द्वारा आंगनबाड़ी सेविका की मिलीभगत से राशि गबन करने के संबंध में गुलाम मुस्तफा अंसारी, बरही, हजारीबाग का परिवाद ।	26.02.2014	अंचल अधिकारी बरही से प्राप्त जांच प्रतिवदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(स0क0)04 / 2012	गिरीडिह जिला में विभागीय लापरवाही के कारण फैल रहे प्रदूषण एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अखिलेश्वर कुमार वर्मा का परिवाद ।	06.02.2014	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड एवं जिला खनन पदाधिकारी गिरीडिह से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार सह परिवाद सामान्य प्रकृति है यद्यपि सरकार द्वारा राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। अतः परिवाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

d`f"k ,oa xUuk fodkl foHkkx

dze l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfrre vkns'k
1.	01 / लोक(कृषि)06 / 12	डा0 मो0 शुजाउद्दीन मलिक द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर B.A.U. कांके, राँची के वनिकी विभाग में यूनिवर्सिटी प्रो0 सह मुख्य वैज्ञानिक ''सिल्वीकल्चर'' के पद पर नियुक्त होने के संबंध में श्री चिन्तामणि महतो का शिकायत ।	25.02.2014	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय, कांके, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जांचोपरान्त परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(कृषि)02 / 13	ग्रेच्यूटि के राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री नन्दकिशोर सिंह, सेवानिवृत चतुर्थवर्गीय कर्मी, बोकारो का परिवाद ।	28.02.2014	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपनण बोर्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02 / लोक(कृषि)06 / 13	डॉ0 एम.एच. सिद्दीकी, Foresty Faculty, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गलत ढंग से नियुक्ति एवं	28.02.2014	कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार महामहिम राज्यपाल के

		प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में श्री के.एन. पंडित, अध्यक्ष ए.आई.टी.यू.सी. राँची का परिवाद ।		आदेशानुसार परिवाद पर अनुसंधान चल रहा है जो लंबित है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(कृषि)02/12	स्व0 श्यामा प्रसाद श्रीवास्तव, सेवा निवृत क्षेत्र पर्यवेक्षक को प्रदत ए.सी.पी. के बकाये राशि का भुगतान करने तथा संशोधित पेंशन के संबंध में श्रीमती विद्या श्रीवास्तव द्वारा प्राप्त शिकायत ।	28.02.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के पति को संशोधित पेंशन प्रदान कर दिया गया है तथा ए.सी.पी का लाभ उन्हे देय नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

m|kx foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(उद्योग)01/2011	बोकारो औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार, बियाडा भवन बालीडीह(बोकारो) के वर्तमान सचिव रीमती वीणा श्रीवास्तव द्वारा अपने अध्यक्ष के आदेश को गलत एवं गैरकानूनी ढंग से रोक लगाने एवं सरकार का लाखों रूपये गबन करने का श्री अमितेश कुमार सहाय का परिवाद ।	24.02.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा रिट सं. WP(C) 1074/2011 जो माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज है का अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित नही किया गया। इससे प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद के प्रति उदासीन है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

[kk| vkiwfrZ foHkkx

de la0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(खा.आ.)04/12	ए.सी.पी. योजना अन्तर्गत प्रदान किये गये वित्तीय उत्क्रमण की सम्पुष्टि विभाग द्वारा नहीं करने के संबंध में श्री दिनेश कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद का परिवाद ।	20.02.2014	संयुक्त सचिवए खाद्य आपूर्ति विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद के निराकरण हो जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

2.	02/लोक(खा.आ.)11/12	बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज नहीं करने के संबंध में श्री वशिष्ट सिंह रामगढ़ का शिकायत ।	19.02.2014	उपायुक्त रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी बी.पी.एल. के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिए इनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में पविद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(खा.आ.)09/12	आनाज की कालाबाजारी करने के संबंध में श्री बर्नाडेट मुर्मू साहेबगंज का परिवाद ।	20.02.2014	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(स्वा0)03/12	दुखी राम लहेरी, सेवा निवृत कुपशोधक का पेंशन निर्धारण कर भुगतान हेतु सेवापुस्त एवं पेंशन प्रपत्र आदि के साथ महालेखाकार के कार्यालय में उपस्थापन करने के संबंध में परिवाद ।	18.02.2014	उप विकास आयुक्त राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा0)01/07	सेवानिवृत प्रधान लिपिक श्री केदार राम का पेंशन/उपादान के भुगतान के संबंध में परिवाद ।	20.02.2014	क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दुमका से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्यानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(स्वा0)05/09	श्री शशिधर प्रसाद सिंह सेवानिवृत परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोलवा, जिला सिमडेगा को सेवानिवृत 29.02.2008 के उपरान्त सेवान्त लाभ कीदेय राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	26.02.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवदेन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के मुख्य परिवाद का निराकरण हो गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(स्वा0)05/07	श्री लालबहादुर झा सेवानिवृत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर जामताड़ा का बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने	28.02.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवदेन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया

		के संबंध में ।		।
5.	02/लोक(स्वा0)10/13	स्व0 पूर्णिमा पाल ए.एन.एम. स्वास्थ्य उपकेन्द्र सुखजोड़ा, प्रा0स्वा0 केन्द्र रानेश्वर की ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. की संपुष्टि हेतु श्री बेनीमाध्व सिंह का परिवाद।	26.02.2014	स्व0 पूर्णिमा पाल ए.एन.एम.तथा अन्य की अवैद्य नियुक्ति की जांच CBI के द्वारा किया गया तथा वाद न्यायालय में लंबित है। उक्त के आलोक में वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

ou foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(वन)10/2001	श्री सुधीर कुमार दास सेवानिवृत वनपाल का अंतिम पेंशन निर्धारण के संबंध में परिवाद ।	19.02.2014	वन प्रमण्डल पदाधिकारी साहेबगंज एवं महालेखाकार झारखण्ड राँची से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन तथा परिवादी से मंतब्य के आलोक में परिवादी के परिवाद का निरकरण हो जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया।
2.	01/लोक(वन)03/13	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची के वन कर्मियों द्वारा अवैद्य रूप से कमान किराया भत्ता एवं अन्य रिश्वत लेकर भुगतान करने के संबंध में सीमा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, डोरण्डा का शिकायत ।	20.02.2014	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँची, से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी दोषियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई किया जा चूका है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(वन)01/11	पुलिस एवं वन माफियाओं के मिली भगत से वन वृक्षों की अवैद्य कटाई को रोकने एंव दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में री जयराम महली का परिवाद ।	28.02.2014	इस वाद से संबंधित कई केस सक्षम न्यायालय, उच्च न्यायालय में लंबित है अतः इस अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नही है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	01/लोक(वन)02/13	2007 से 2011 तक फर्जी मास्टर रौल के आलोक में सरकारी राशि निकासी कर गबन करने के संबंध में श्री प्रकाश यादव, हजारीबाग का परिवाद ।	28.02.2014	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मामले की जांच ग्रामिणों तथा परिवादी के समक्ष कराया गया जिसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

iqfyl foHkkx

dze l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(पुलिस)28/12	गलत आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में श्री मुन्ना मोदी, धुर्वा राँची का परिवाद ।	17.02.2014	निर्गत गलत आचरण प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया तथा आवासीय दण्डाधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई किया जा चूका है। इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निरकरण हो जाने के बाद माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)02/09 02/लोक(पुलिस)09/09	श्री रामानन्दन सिंह सेवानिवृत प्रधान चालक (हवल्दार) अग्निशामन देवघर को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में ।	11.02.2014	गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा परित आदेश के अनुसार परिवादी को ए.सी.पी. का लाभ देय नहीं है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(पुलिस)37/12	श्री कपिलदेव प्रसाद सेवानिवृत प्रधान लिपिक को सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में शिकायत।	18.02.2014	पुलिस अधिक्षक देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी को उनके बकाया सेवान्त लाभ का भुगतान कर परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा पविाद को बंद कर दिया गया ।
4.	01/लोक(पुलिस)05/12	देवघर नगर थाना काण्डसं. 48/2012 में थाना प्रभारी के.के. साहू के द्वारा मनमानी करने एवं आई. ओ. बिरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा मोटा रकम लेकर अभियुक्त को छोड़ने के संबंध में श्रीमती हेमावती देवी का शिकायत ।	26.02.2014	पुलिस महानिरीक्षक, दुमका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
5.	02/लोक(पुलिस)92/05	श्री हरिहर ओझा, सेवानिवृत आरक्षी धनबाद, जिला पुलिस के सामान्य भविष्य निधि लेखा सं0 पी0–45762 में जमा राशि का भुगतान करने के संबंध में परिवाद ।	26.02.2014	परिवादी द्वारा परिवाद वापसी तथा अपने परिवाद से संबंधित विस्तृत पत्र संबंधित विभाग को सौपने के आग्रह के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	02/लोक(पुलिस)02/13	सेवानिवृति के बाद 40 प्रतिशत पेंशने वाला लाभ शीघ्र भुगतान करने के संबंध में श्री लाल बिहारी सिंह, सेवानिवृत लिपिक , निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची का परिवाद ।	26.02.2014	पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद निराकरण विभाग द्वारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।
7.	02/लोक(पुलिस)30/2012	कृष्णा कुमार सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाने के संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची के विरूद्ध	26.02.2014	वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निरकरण कर दिया

		शिकायत ।		गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
8.	01/लोक(पुलिस)09/2013	श्रीमती ममता मिश्र पर कातिलाना हमला होने की शिकायत नगर थाना देवघर में करने पर कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित शिकायत ।	26.02.2014	पुलिस अधीक्षक देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित परिवाद सक्षम नयायालय में लंबित है तथा पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई किया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।
9.	02/ लोक(पुलिस)19/12	श्री पवन लोहरा नक्सली का उपकारा खूँटी से पुलिस प्रशासन में फैले कदाचार के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र ।	26.02.2014	पुलिस अधीक्षक खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
10.	02/लोक(पुलिस)08/2012	झारखण्ड दारोगा बहाली में अनियमितता बरतने के संबंध में श्री दिनेश बारला, खूँटी का परिवाद ।	26.02.2014	प्रधान सचिव, गृह विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का अंक अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित न्यून्तम अंक 144 से कम है तथा नियुक्ति का मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
11.	01/लोक(पुलिस)04/2012	महादेव महतो, शिक्षक धरमपुर द्वारा परिवादी श्री देवकी महतो का जमीन जबरन हड़पने के संबंध में परिवाद ।	26.02.2014	दो लोगों का जमीन के दखल को लेकर आपसी झगड़ा है जिस पर पुलिस द्वारा केस सं. 11/2012 दर्ज कर उचित कार्रवाई की जा रही है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xg foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02/लोक(गृह)03/12	श्री हरिदयाल सिंह सेवानिवृत प्रधान चालक हवलदार अग्निशामन का ए.सी.पी. में विसंगति दुर करने के संबंध में परिवाद ।	11.02.2014	गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा परित आदेश के अनुसार परिवादी को ए.सी.पी. का लाभ देय नहीं है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

2.	02/लोक(गृह)01/2013	ए.सी.पी के बकाये राशि भुगतान सेवानिवृति के बाद भी विभाग द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में श्री जयवंत संगा, हजारीबाग का शिकायत ।	24.02.2014	जेल अधीक्षक हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

;kstuk fodkl foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	01/लोक(यो.वि.)01/12	पश्चिम सिंहभूम जिले में पदस्थापित जिला योजना पदाधिकारी श्री अशोक कुमार चौधरी के भ्रष्ट कारनामों की जांच करा कर उचित कार्रवाई करने के संबंध में श्री पवन शंकर पाण्डेय, चक्रधर पुर का शिकायत ।	20.02.2014	निगरानी ब्यूरो झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वा को संचिकास्त कर दिया गया ।

f'kdk;r

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	शिकायत सं.610/2013	PTPS में PTPS के पदाधिकारियों एवं CCL के पदाधिकारियों द्वारा मिलकर कोयला घोटाला करने के संबंध में ।	19.02.2014	शिकायतकर्त्ता CBI द्वारा घोटाले की जांच करने का निर्देश देने कायाचना किया गया है । चूंकि CBI केन्द्र सरकार के द्वारा निर्देशित होता है तथा झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वार बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं 235/13	बालिका उच्च विद्यालय भुरकुण्डा, रामगढ़ का चारदिवारी निर्माण में अनियमितता के आरोप के संबंध में श्री लव कुमार महतो का शिकायत ।	10.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं.658/13	अवैद्य दखल कब्जा से भूमि को उत्क्रमित करने के	19.02.2014	इसी वाद से संबंधित केस बंदोबस्त कार्यालय दुमका

		संबंध में श्रीमती इन्द्रानी देवी, मधुपुर का शिकायत ।		तथा उपायुक्त कार्यालय देवघर में लंबित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 13/14	श्री अनंत कुमार आचार्य का खरसांवा अधिसूचित क्षेत्र समिति में असंवैद्यानिक नियुक्ति के संबंध में श्री जयंत कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, सरायकेला का शिकायत ।	11.02.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 661/13	जमीन के स्वामित्व का निर्धारण करने के संबंध में श्री बिमल कीर्ति सिंह देव, सरायकेला का शिकातय ।	07.02.2014	परिवाद जमीन के स्वामित्व से संबंधित है जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में ही संभव है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 297/13	धनवार थाना काण्ड सं 16/12 के थाना प्रभारी द्वारा झूठा एवं जाली मामला दर्ज करने के संबंध में श्री तौकीर आलम का शिकायत ।	19.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं.245/13	चाकुलिया थाना में नया मॉडल भवन निर्माण में घोर अनियमितता करने के संबंध में श्री निलकांत दास,चाकुलिया का शिकायत ।	11.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं.397/13	श्रीमती चन्द्रप्रभा दास सेवानिवृत ए.एन.एम. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामा, दुमका को सेवान्त लाभ एवं पेंशन अप्राप्त रहने के संबंध में ।	19.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 130/13	श्री इन्द्र भूषण सिंह जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम एवं अन्य पर गलत वेतन निर्धारण करने तथा बकाया वेतन के संबध में अफ्फान कादरी एवं अमीन अहमद, कबिरिया उर्दू मध्य विद्यालय, मानगो, आजादनगर, जमशेदपुर का आरोप ।	28.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 571/13	डॉ0 बहादुर सिंह, चेयरमैन, कैम्ब्रिज इन्स्टिचयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटीसिलवे राँची की NIT जमशेदपुर में Board Of Governors के रूप में	25.02.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया

		अवैद्य नियुक्ति के संबंध में श्री दुर्गा मुण्डा का शिकायत ।		गया ।
11.	शिकायत सं.637/13	श्री ज्योतिष चन्द्र घोषाल, सहायक, अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा को पेंशन रूपान्तरण का लाभ देने के संबंध में शिकायत ।	28.02.2014	शिकायतकर्त्ता पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट सं. 6011/2011 दाखिल किया है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को बंद कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 10/2014	जिला नजारत उप समाहर्त्ता गिरीडिह कार्यालय द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मियों की पैनल गठन एवं नियुक्ति लंबित रखने के संबंध में श्री रामदुलार प्रसाद वर्मा गिरिडीह का श्यिकायत ।	22.02.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 55/2014	जाली प्रमाणपत्र बनाकर श्री शक्ति सिह सहायक लिपिक जमुआ प्रखण्ड, गिरिडीह में वर्षो से कार्यरत एवं 30.01.2014 को सेवानिवृत के उपरान्त भी सेवा में बने रहने के संबंध में श्री रामचन्द्र मधुकर गिरीडिह का शिकायत ।	28.02.2014	जाली जन्म प्रमाण पत्र का शिकायत अति विलंब से किया गया तथा संबंधित लोक सेवक सेवानिवृत हो चूका है अतः इस स्थिति में शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 60/2014	सेशन ट्रॉयल नं0 56/2006 (राज्य बनाम साहब राणा) में जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री आलोक दूबे द्वारा पैसा लेकर सभी मुदालयों को रिहा करने के संबंध में श्री चमारी यादव, चतरा का शिकायत ।	25.02.2014	इस प्रकार के शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 20/2014	श्री विष्णु कुमार प्रधान सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा प्रोन्नति, स्थानान्तरण, एवं पदस्थापन में घूस, कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय, हिनू का शिकायत ।	05.02.2014	शिकायत पदस्थापन एवं स्थानान्तरण से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 50/2014	व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में लंबित TR No. 3056/2013 (PS No-25/08, GR No.- 2490/08 के शीघ्र निष्पादन के संबंध में श्री जीमल अख्तर, बेरमो, बोकारो का शिकायत ।	19.02.2014	इस प्रकार के शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं0 593/13	संत कोलम्बस महाविद्यालय, हजारीबाग में प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों की अवैद्या नियुक्ति के संबंध में प्रो0 राजेन्द्र पांडेय, सेवानिवृत प्रोफेसर, हजारीबाग	25.02.2014	शिकायत नियुक्ति संबंधी है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा पोषणीय नहीं

		का शिकायत ।		रहने के कारण बंद कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 492/13	द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का बकाया भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री रघुनाथ राय, सतबरवा, पलामू का शिकायत ।	20.02.2014	परिवादी द्वारा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में रिट सं. 3335/2006 दायर किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा समूचित आदेश पारित किया जा चूका है । अतः वाद पर अन्य कारवई की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 22/2014	सरकारी जमीन पर अवैद्य निमार्ण के संबंध में श्री मुंशी लाल भगत एवं अन्य हजारीबाग का शिकायत ।	24.02.2014	शिकायत किसी लोक सेवक के विरूद्ध नहीं किया गया है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं0 646/13	भ्रष्टाचार व रिश्वत खोरी के संबंध में श्री जीतेन्द्र प्रसाद राजगंज धनबाद का शिकायत ।	28.02.2014	शिकायत सामान्य प्रकृति का बिना किसी संज्ञानात्मक साक्ष्य के है अतः शिकायत पर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 624/13	CNT Act का उल्लंघन कर जमीन बेचने की अनुमति सीमा हेम्ब्रम, सरायकेला खरसांवा का शिकायत ।	28.02.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि अनुमति वाद सं. 68/2005–06 को भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा वैद्यानिक तरिके से संचिकास्त कर दिया गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया।
22.	शिकायत सं. 556/13	दबंगों द्वारा रैयती जमीन पर अवैद्य दखल करने के संबंध में श्रीमती प्रेमलता देवी, तिलैया का शिकायत ।	28.02.2014	परिवादनी द्वारा अपने शपथ पत्र में दर्शाया गया है कि उन्होने उचित फोरम में अपना परिवाद को निराकरण हेतु दर्ज कराया है तथा वहां परिवाद लंबित है । अतः परिवाद पर अन्य कार्रवई की आवश्यकता नहीं है। इसी आश्य के साथ शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं0 645/13	विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं करने के संबंध में मो0 सेराजूल हक, लोअर बाजार, राँची का शिकायत ।	28.02.2014	परिवाद को अपने वाद का निराकरण हेतु Electricity Deptt. में ही अपना Representation देना चाहिए तथा उन्हे उपचार वहीं से प्राप्त होगा । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं. 602/13	राँची नगर निगम द्वारा एक ही मद में दुबारा टैक्स	26.02.2014	शिकायत सरकार के निती निर्धारण से संबंधित है जो

		वसूलने के संबंध में श्री हिरा लाल तिवारी, राँची का शिकायत ।		झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं0 622/13	श्मशान घाट से अतिक्रमण नहीं हटाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार भैया, जामताड़ा का शिकायत ।	25.02.2014	परिवादी द्वारा पूर्व में इसी वाद पर परिवाद सं. 02/लोक(राजस्व)/07/2012 दाखिल किया गया था जो दिनांक 06.06.2012 को माननीय लोकायुक्त वाद को न्यायालय में लंबित रहने के कारण बंद कर दिया गया था। अतः शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया ।
26.	शिकायत सं. 592/13	आपति के बावजूद भी दाखिल खारिज कर देने के संबंध में ऋतु रंजन सिंह जमुआ, गिरीडिह,का शिकायत ।	25.02.2014	दाखिल खारिज से संबंधित आदेश चूकि पारित किया जा चूका है अतः परिवादी को इस आदेश के विरूद्ध अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
27.	शिकायत सं.0528/13	अंचल निरीक्षक रातु द्वारा गलत तरिके से परमिशन देने के संबंध में श्री लक्ष्मी नाथ महतो का शिकायत ।	26.02.2014	शिकायतकर्त्ता शिकायत अपर समाहर्ता भूमि सुधार, राँची के न्यायालय में लंबित है । अतः शिकायत पोषणीय नहीं है । इस प्रकार वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
28.	शिकायत सं. 572/13	विशेष शाखा में पदस्थापित पुलिस श्री राजीव रंजन के द्वारा पदस्थापन/कैडर के नाम पर पैसा ठगने के संबंध में श्री दिनेश कुमार यादव, पुलिस झारखण्ड जगुआर, राँची का शिकायत ।	26.02.2014	शिकायत पत्र किसी छदम नामी व्यक्ति के द्वारा दर्ज किया गया है तथा इसके साथ किसी प्रकार के सक्ष्य, आरोप के संबंध में नहीं है। अतः शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है।
29.	शिकायत सं. 577/13	डॉ0 एस.जी. अब्बास यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सह मुख्य वैज्ञानिक ठ.।ण्न्ण् कांके, राँची द्वारा फर्जी रिसर्च पेपर जमा कर नियुक्ति एवं प्रोन्नति पाने के संबंध में श्री राजू महतो, अध्यक्ष, अखिल झारखण्ड किसान संघ, राँची का शिकायत ।	25.02.2014	इसी वाद पर परिवाद सं. 01/लोक(कृषि)02/12 दाखिल किया गया था जिसका निष्पादन माननीय लोकायुक्त द्वारा इस आश्य के साथ कर दिया गया कि परिवद पूर्व से ही महामहिम कुलाधिपति के यहा लंबित है । उक्त के आलोक इस शिकायत को भी माननीय लोकयुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
30.	शिकायत सं0 601/13	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (गव्य विकास)अन्तर्गत निदेशक गव्य विकास के पद पर श्री आलोक कुमार पाण्डेय की अवैद्य एवं नियम विरूद्ध नियुक्ति के संबंध में मो0 साजिद अली, मुंगेर का परिवाद ।	25.02.2014	शिकायत नियुक्ति संबंधी है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा पोषणीय नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया ।

31.	शिकायत सं. 474/13	न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेश के बावजूद भी लालपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा जांच करने के नाम पर पैसा मांगने के संबंध में कंचन कुमारी मिश्रा का परिवाद ।	26.02.2014	परिवादीनी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से बताया गया है कि आई.ओ. द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। अतः परिवाद पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस आश्य के साथ परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
32.	शिकायत सं. 36/14	श्री सकलदेव राम थाना प्रभारी चक्रधरपुर द्वारा श्री रवि शंकर कुमार को गलत तरिके से फंसाने के के संबंध में शिकायत ।	25.02.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा इसी प्रकार के परिवाद सं. 02/लोक(गृह)02/12 दाखिल किया गया था जो दिनांक 03.10.2012 को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया था । अतः उसी वाद पर पुनः परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
33.	शिकायत सं. 12/14	प्रोन्नती नहीं दिये जाने के संबंध में मो0 नुरूद्दीन अंसारीए पलामू का शिकायत ।	07.02.2014	शिकायत प्रोन्नती से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है । अतः शिकायत को माानननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
34.	शिकायत सं. 653/13	दलपति के पद पर नियुक्ति के संबंध में श्रीमती सरीता कुमारी, गढ़वा का शिकायत ।	28.02.2014	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
35.	शिकायत सं. 603/13	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री रामदेव कुमार वर्मा, गिरीडिह का शिकायत ।	28.02.2014	इस प्रकार के शिकायत से संबंधित उपचार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही निहित है तथा शिकायत कर्त्ता इसका लाभ लेना चाहिए। इसप्रकार शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
36.	शिकायत सं0 25/14	पेनल कोल माईन्स लि0 अमड़ापाड़ा, जिला पाकुड़ द्वारा सरकारी राशि गबन संबंधि सूचना मांगे जाने पर गलत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में श्री कैलाश प्रसाद, साहेबगंज का शिकायत ।	28.02.2014	इस प्रकार के शिकायत से संबंधित उपचार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही निहित है तथा शिकायत कर्त्ता इसका लाभ लेना चाहिए। इसप्रकार शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
37.	शिकायत सं. 587/2013	आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में एस. मुमताज अहमद सरकारी संवेदक राँची का परिवाद ।	11.02.2014	लोक सेवक द्वारा संबंधित विभाग में अपने चल अचल संपति विविरणी प्रस्तुत किया गया है। अतः इस वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।